कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी (मध्यप्रदेश)

निविदा सूचना

डिण्डौरी, दिनॉक 29 अगस्त 2016

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल के निर्देशानुसार जिला कार्यालयों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के लिये आउट सोर्स से 08 डाटा एन्ट्री आपरेटर 03 सहायक प्रोग्रामर एवं 01 भृत्य की सेवाएं दिनॉक 31.10.2016 तक कलेक्टर दर पर लिये जाने हेतु निर्धारित निविदा प्रारूप में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

निविदा प्रपत्र

1 निविदाकार का नाम..

2 निविदाकार का पता..

3 मोबाईल नम्बर..

4 फर्म / एजेंसी का पंजीयन दिनॉक..वर्ष..

5 कम्पनी की वार्षिक आय / व्ययः–..

6 अनुभव..

7 निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई रकम का विवरण..

8 बैंक ड्राफट जारी करने वाले बैंक का नाम..

9 बैंक ड्राफट क्रमांक..राशि..दिनॉक..

10 क्या आपके द्वारा आवश्यक अनुबंध शर्ते स्वीकार है (हां / नहीं)..

11 क्या निविदाकार द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक सभी करों का भुगतान शासन को पूर्ण कर दिया गया है तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12 क्या आदेयता के विरूद्व सक्षम न्यायालय में निविदाकार के विरूद्व कार्य / दावा या वाद प्रचलित है, उसकी जानकारी देवें।

13 संबंधित कर्मचारियों को निर्धारित की गई राशि का विवरणः–

A	Grass Salary	
B	Statutory Liabilities	
	EPF Contribution	
	ESIC Contribution	
C	Manpower Carrying Cost	
D	Service Charge applicable on Manpower Carrying Cost	
E	Total Manpower Cost (C+D)	
F	Service tax on taxable value applicable on Total Manpower Cost	
	Total Salary Per Manpower	

शर्तेः–

1 एजेंसी द्वारा उसकी कार्य कुशलता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

2 सहायक प्रोग्रामर पद के लिये निर्धारित योग्यताः–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. / एम.एस.सी. (गणित सांख्यिकी / इलेक्ट्रानिक्स विषय) की स्नातोकोत्तर उपाधि के साथ पी.जी.डी.सी.ए.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रानिक्स) में उपाधि परीक्षा होना अनिवार्य है।

–2–

3 डाटा एन्ट्री आपरेटर पद के लिए निर्धारित योग्यता :–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंको सहित स्नातक

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 01 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 1000 Key Depression प्रति घंटा की गति हो।

4 व्यक्ति/एजेंसी का चयन कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी के अनुमोदन अनुसार पारदर्शी प्रकिया का पालन करते हुये किया जावेगा।

5 साप्ताहिक एवं मासिक समीक्षा इन्द्राज किये गये डाटा का वेरीफिकेशन एवं गुणवत्ता को जांचने हेत जिला/तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा कराये गये कार्य की समीक्षा की जावेगी, जिसमे अनियमितता या असत्यता पाये जाने पर चयनित डाटा एन्ट्री आपरेटर को 24 घंटे के भीतर हटाया जाकर नये आपरेटर की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने पर एजेंसी का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी का होगा।

6 प्रत्येक कर्मचारी का मानदेय कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर आउट सोर्स एजेंसी को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा। एजेंसी संबंधित कर्मचारियों का मानदेय समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करें ताकि शासकीय कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

7 फर्म द्वारा ई.पी.एफ. पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

8 अमानत राशि 1,00,000/– (एक लाख रूपये) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी के नाम प्रस्तुत किया जावेगा।

9 जिला मुख्यालय मे 02 डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं 01 सहायक प्रोग्रामर एवं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 01–01 सहायक प्रोग्रामर एवं 03–03 कम्प्यूटर आपरेटर पदस्थ किये जावेगें।

10 सेवा प्रारंभ के पूर्व 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी से अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसका व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

11 फर्म/एजेंसी के विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो।

12 फर्म/एजेंसी अनुबंध, बजट निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के आधार पर अनुबंधित की जावेगी जिसे किसी भी समय नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

13 अनुबंधित फर्म/एजेंसी के नियम एवं शर्तो को संशोधित करने का अधिकार कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को होगा।

14 फर्म/एजेंसी का अनुबंध 2016–17 तक के लिये किया जावेगा एवं कार्य के अनुसार यह अवधि अनुमोदन उपरांत बढ़ाई जा सकती है।

15 फर्म/एजेंसी अनुबंधित करने के संबंध में कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी का निर्णय अंतिम होगा।

16 फर्म/एजेंसी का 06 माह का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17 फर्म/एजेंसी का वार्षिक टर्न ओव्हर 10 लाख से कम नही होना चाहिये।

18 फर्म/एजेंसी का श्रम विभाग का जीवित पंजीयन होना चाहिये।

19 फर्म/एजेंसी को लगातार 03 वर्ष इन्कम टेक्स रिटर्न फाईल प्रस्तुत करना होगा।

20 निविदाकार को आउट सोर्स कर्मचारी को कलेक्टर दर पर पृथक–पृथक पद हेतु कितनी–कितनी राशि की कटौती की जानी है एवं कितनी–कितनी राशि कर्मचारी को दी जानी है, उसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

21 सीलबंद निविदाएं कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को दिनॉक 16.09.2016 को दोपहर 2.00 तक जमा की जावेगी एवं उसी शायं 4.00 बजे खोली जावेगी। नियत समय–सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा।

22 उपलब्ध कराये गये कर्मचारी को जिले की किसी भी अनुविभागीय अधिकारी/तहसील कार्यालय में पदस्थ किया जा सकता है, जिसके लिये वह बाध्य होगा।

23 निविदा को मान्य/अमान्य करने का सम्पूर्ण अधिकारी कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी को होगा।

कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी

पृ.क्रं./स्था/निर्वाचन/2016/818
डिण्डौरी, दिनॉक 01-9- अगस्त, 2016

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल।
2 कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
3 समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, म.प्र.।
4 आयुक्त, जनसंपर्क विभाग,म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ भेजकर निवेदन है कि जबलपुर से प्रकाशित दो स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6 सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, डिण्डौरी की ओर भेजकर लेख है कि स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
7 अधीक्षक/सदर नाजिर कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी।
8 संबंधित फर्म/संस्था...

कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी